न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **44 / 2014** अपील (राजस्व)

1. मु. रूपा पुत्री श्री लिम्बा भील (गमेती), निवासी आम्बाफला, तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2. ढउ पुत्री श्री लिम्बा भील (गमेती), निवासी आम्बाफला, तितरड़ी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्टगण**

बनाम

1. श्रीमति भूरी बाई पत्नि देवा भील (गमेती), निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमति कमला पिता श्री देवा भील (गमेती), निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट उप तहसीलदार बारांपाल के आदेश के विरूद्ध

उपस्थितः 1. श्री कैलाश नागदा, अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. श्री कन्हैयालाल चौर्डिया, रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः—.....

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी अपील में अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि ग्राम तितरड़ी, तहसील गिर्वा के आराजी नम्बर 2214 रकबा 0.1100 व आराजी नम्बर 2215 रकबा 0.1200 हैक्टर भूमि में से 0.480 हैक्टर भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पति तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 के पिता पूर्व में विक्रय कर चुके है जिसके नये नम्बर

3479/2214 बने तथा आराजी नम्बर 2215 का शेष रकबा 0.720 भूमि की अपील की जा रही है जो कि श्री लिम्बा पिता जालमा भील के नाम पर दर्ज थी तथा इसी के साथ अन्य आराजीयात की भूमि आराजी नम्बर 3479/2215, रकबा 0.480, आराजी नम्बर 2239 रकबा 0.2100 व आराजी नम्बर 2241 रकबा 0.0050, आराजी नम्बर 2243 रकबा 0.0550 भी दर्ज थी जो कि लिम्बा के पुत्र देवा जो अपीलान्ट का भाई था, ने अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दी हैं। लिम्बा का स्वर्गवास हो चुका हैं। लिम्बा के तीन सन्ताने हुई जिसमें देवा पुत्र रूपा पुत्री व ढउ पुत्री हैं। देवा के कोई पुत्र नहीं हुआ केवल मात्र एक पुत्री कमला हुई। देवा की पत्नि भुरीबाई है जो रेस्पोडेंट संख्या 1 हैं। पटवारी हल्का ने रेस्पोडेंट व उसके पिता को फायदा पहूॅचाने हेतु मृतक लिम्बा के वारिसान का नाम अपीलान्ट संख्या 1 व 2 का नाम अंकित नहीं किया नाही उनको वारिस बताया जबकि प्रचलित रिवाज नियम व कानुनन पुत्र व पुत्रियों को पिताजी की जायदाद में बराबर हिस्सा होता हैं। लेकिन पटवारी हल्का की मिलीभगत से उक्त नामान्तरकरण अपीलान्ट वारीसान के जीवित होते हुए भी गलत खोला गया। जबकि कब्जा अपीलान्ट का बहैसियत वारिसान के मौके पर आज तक अपने पिता के समय से चला आ रहा हैं। जो आज तक काबिज हैं। महज पटवारी द्वारा रेस्पोडेंट को फायदा पहुॅचाने की गरज से देवा पिता लिम्बा के नाम गलत खोला गया हैं। विरासत से सभी वारिसानो के नाम खोलना चाहिये था। जबकि अपीलान्ट का अपने पिता की जायदाद जमीन में बराबर बराबर का हक व अधिकार है इस कारण अविलम्ब उक्त नामान्तरकरण को अपास्त किया जाना जरूरी हैं तथा अपीलान्ट का भी इस जमीन में 1/3, 1/3 हिस्सा घोषित किया जाना चाहिये। अपीलीय नामान्तरकरण अवैध व शुन्य हैं तथा गलत व नाजायज तरीके से खोला गया नामान्तरकरण है जो अपीलान्ट के हितो पर भारी कुठाराघात हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तरकरण 349 दिनांक 12.01.93 को निरस्त फरमाया जाकर वैध वारिसानो के नाम पर नये सीरे से दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अपनी अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया हैं जो शामिल पत्रावली हैं।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 12.01.93 यानि 20 वर्षो के बाद अपील प्रस्तुत कि गई है जो कि अवधि सीमा से परे हैं। मृतक देवा जिनका स्वर्गवास दिनांक 10.09.12 को हुआ उसके जीवनकाल में नामान्तरकरण खुलने के 19 वर्षो तक अपील नहीं कर उसके स्वर्गवास के पश्चात् अपील पेश की हैं। इतने लम्बे अन्तराल के बाद अपील प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं हैं। जिससे उक्त अपील प्रथम दृष्ट्या खारीज फरमायी जावें। अपीलान्ट द्वारा दो विभिन्न नामान्तरकरण की एक ही अपील पेश की है जो भी स्वीकार योग्य नहीं हैं। परन्तु विद्ववान अधिवक्ता दिनांक 22.05.17 को अनुपस्थित रहे। जिस कारण उनकी बहस नहीं सुनी जाकर उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को रेकार्ड पर लिया जाकर एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रकरण में बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर यह निवेदन किया कि अपीलार्थीगण के पिता लिम्बा जी के स्वर्गवास के पश्चात् उनके नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज भुमि का नामान्तरकरण अकेले हमारे भाई देवा के नाम पर दर्ज कर दिया गया। जबकि कानुनन पुत्र व पुत्रियों को पिताजी की जायदाद में बराबर बराबर हिस्सा होता है लेकिन पटवारी हल्का की मदद से अपीलीय नामान्तरकरण मात्र देवा के नाम पर खोलकर जीवित वारीसान अपीलार्थीगणो को वंचित करते हुए गलत खोला गया। अपीलान्टगण बहैसियत वारिसान के मौके पर आज तक अपने पिता के समय से चले आ रहे हैं एवं काबिज हैं। हमारे भाई देवा का भी स्वर्गवास हो चुका हैं। उनके कोई पुत्र नहीं हैं। केवल मात्र एक पुत्री हैं। जिसका नाम कमला हैं व देवा की पत्नि भुरीबाई हैं। जो इस अपील में रेस्पोडेंट संख्या 1 हैं। वर्तमान में भुमि इनके नाम दर्ज हैं। जबकि विरासत से अपीलान्ट के नाम भी राजस्व अभिलेखो में 1/3, 1/3 हिस्से से भुमि दर्ज

होनी चाहिये थी। पटवारी हल्का द्वारा लिम्बा के वारिसानो की सही जॉच नहीं कर। मात्र देवा के नाम पर ही भुमि दर्ज कर दी गई। जबकि उसके तीनो वैध वारीसानो के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। खोला गया नामान्तरकरण अवैध होकर कानुनन गलत हैं। इसलिये नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर नये सीरे से मृतक लिम्बा के सभी वैध वारीसानो के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण में विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरान्त न्यायालय का निष्कर्ष है कि तथाकथित नामान्तरकरण दिनांक 12.01.93 को अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बारापाल द्वारा पटवारी व भु अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत किया गया हैं। नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 16 विशेष विवरण में अंकित है कि खातेदार लिम्बा फौत हो चुका है अतः विरासत से इन्तकाल दायर किया गया। अपीलान्ट ने अपील एवं प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उसे तथाकथित नामान्तरकरण की जानकारी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 18.11.13 से 20 दिन पूर्व ही हुई। जिस पर दिनांक 01.11.13 को नकल प्राप्त कर वकील नियुक्त कर अपील प्रस्तुत की गई। साथही निवेदन किया कि अपीलान्ट गरीब व अनपढ आदिवासी महिला हैं। वह शान्तिपुर्वक उक्त भुमि पर काबिज हैं। जानबुझकर कोई गलती नहीं की हैं। उक्त नामान्तरकरण के आदेश की पूर्व में अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी। नामान्तरकरण 4564 जो कि दिनांक 18.10.12 को प्रमाणित हुआ है। इन दोनो नामान्तरकरण की अपील एकसाथ में की जाकर दोनो का ज्ञान एक ही दिन होना अपने प्रार्थना पत्र में बताया गया हैं। अपने प्रार्थना पत्र में नामान्तरकरण की जानकारी 20 दिन पूर्व होने का कोई ठोस कारण नहीं बताया हैं। साथही अपनी अपील में यह भी अंकित किया कि लिम्बा के पुत्र देवा जो अपीलान्ट का भाई था ने अन्य व्यक्तियों को भुमि का विक्रय कर दिया हैं जिस हेतु अलग से कार्यवाही की जा रही हैं।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने मियाद के संबंध में विरोधाभासी कथन किये हैं एवं अपीलान्ट को नामान्तरकरण की पूर्व से ही

जानकारी थी। जब देवा जमीन का विक्रय कर रहा था उसका ज्ञान तो उसे पूर्व से ही था। उनको यह भी ज्ञान अच्छी तरह से होगा कि हमारे पिता स्वर्गीय लिम्बा की भुमि देवा के नाम दर्ज हैं। जिसके कारण ही वह भूमियों का विक्रय कर रहा हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेकानेक विनिर्णयो में देरी को क्षमा करने के संबंध में इस आशय का मुलभुत सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जब तक अपीलान्ट द्वारा अपील दायर करने के संबंध में की गई देरी बाबत् सत्य विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण से न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर दिया जाता है तब तक अपील दायर करने में की गई देरी को कण्डोन नहीं किया जा सकता हैं। अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथन विश्वसनीय एवं संतोषजनक नहीं हैं। साथही अपीलार्थी द्वारा दो नामान्तरकरणो की अपीले एक साथ में की गई हैं एवं प्रस्तुत अपील देवा के निधन के पश्चात् उनके विधिक वारीसानो के विरूद्ध की गई हैं।

अतः अपील अपीलान्टगण मियाद बाहर होने से तथा अपील दायर करने में की गई देरी क्षमा योग्य नहीं होने से अपील में गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारीज की जाती हैं।

पत्रावली फैसल शूमार हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर